भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 375
04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः- खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए केरल को सहायता

375. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए केरल को अधिक सहायता प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) खाद्य उत्पादन के संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उपभोग के लिए आवश्यक खाद्यान्नों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्येक राज्य में भोजन की कुल आवश्यकता और कुल उत्पादन के संबंध में तुलनात्मक विवरण का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केंद्र सरकार ने कम उत्पादन के कारण खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में केरल के संकट का विश्लेषण किया है;

(च) यदि हां, तो खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए केरल को प्राथमिकता देने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या केंद्र सरकार ने केरल में कृषि भूमि को संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार के साथ संयुक्त कार्रवाई शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) केरल में कार्यान्वित की जाने वाली प्रस्तावित विशेष परियोजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ज): भारत सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता कर रही है। कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) केरल और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) सहित 28 राज्यों के चिन्हित जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) को कार्यान्वित कर रहा है, ताकि क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि, व्यक्तिगत खेत स्तर पर मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता पुनर्स्थापित कर और खेत स्तर पर अर्थव्यवस्था में वृद्धि के माध्यम से खाद्य उत्पादन में बढ़ोत्तरी की जा सके।

एनएफएसएनएम के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से किसानों को फसल उत्पादन और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों, फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शनों, नई जारी किस्मों/संकरों के प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण, एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन तकनीकों, फसल मौसम के दौरान प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों की क्षमता निर्माण आदि पर सहायता प्रदान की जाती है। एनएफएसएनएम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू)/कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) को विषय वस्तु विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों की देखरेख में प्रौद्योगिकी बैक स्टॉपिंग और किसान को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए भी सहायता प्रदान करता है। अनुसंधान संगठनों को अनुसंधान परियोजनाओं को शुरू करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है जो फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के अंतर्गत राज्यों को राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए लचीलापन भी दिया है। राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एसएलएससी) की मंजूरी से राज्य पीएम-आरकेवीवाई के अंतर्गत खाद्यान्न फसलों के लिए आवश्यकता आधारित परियोजनाओं को कार्यान्वित कर सकते हैं।

देश में खाद्यान्न का कोई संकट नहीं है। केंद्र, राज्य सरकारों और किसानों के सम्मिलित प्रयासों से खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2017-18 में 285.01 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 332.29 मिलियन टन हो गया है। वर्ष 2023-24 में भारत में राज्यवार खाद्यान्न उत्पादन का विवरण अनुबंध-I पर दिया गया है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस)/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्न का आवंटन अनुबंध-II पर दिया गया है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत शुरू किए गए वाटरशेड विकास कार्यक्रमों के एक हिस्से के रूप में राज्य में कृषि भूमि सहित प्राकृतिक संसाधनों के सर्वांगीण विकास और संरक्षण के लिए कई गतिविधियाँ शुरू की गई हैं। केरल राज्य सरकार ने केरल की धान की शेष भूमि को संरक्षित करने के लिए वर्ष 2008 में केरल धान भूमि और आर्द्र भूमि अधिनियम पारित किया है।

अनुबंध- I

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्यवार कुल खाद्यान्न उत्पादन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल उत्पादन (लाख टन)
		2023-24
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.10
2	आंध्र प्रदेश	104.13
3	अरुणाचल प्रदेश	3.92
4	असम	62.59
5	बिहार	212.01
6	चंडीगढ़	0.03
7	छत्तीसगढ़	106.19
8	दादरा और नगर हवेली	0.38
9	दमन और दीव	--
10	दिल्ली	1.05
11	गोवा	0.99
12	गुजरात	100.45
13	हरियाणा	184.39
14	हिमाचल प्रदेश	16.48
15	जम्मू और कश्मीर	18.41
16	झारखंड	33.58
17	कर्नाटक	127.77
18	केरल	5.02
19	लद्दाख	0.25
20	मध्य प्रदेश	414.68
21	महाराष्ट्र	145.09
22	मणिपुर	4.38
23	मेघालय	3.25
24	मिजोरम	0.55
25	नागालैंड	5.19
26	ओडिशा	94.32
27	पुदुचेरी	0.63
28	पंजाब	325.44
29	राजस्थान	218.72
30	सिक्किम	0.69
31	तमिलनाडु	107.00
32	तेलंगाना	202.76
33	त्रिपुरा	8.42
34	उत्तर प्रदेश	602.86
35	उत्तराखंड	18.00
36	पश्चिम बंगाल	193.24
	अखिल भारत	**3322.95**

(स्रोत: अर्थशास्त्र, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन प्रभाग, डीएएंडएफडब्ल्यू)

अनुबंध- II

वर्ष 2024-25 के लिए टीपीडीएस/एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यान्न (चावल+गेहूं+मोटे अनाज) का आवंटन

(मात्रा लाख टन में)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**कुल**
1	आंध्र प्रदेश	18.72
2	अरुणाचल प्रदेश	0.89
3	असम	16.95
4	बिहार	55.27
5	छत्तीसगढ़	13.84
6	दिल्ली	4.49
7	गोवा	0.59
8	गुजरात	22.47
9	हरियाणा	7.95
10	हिमाचल प्रदेश	5.08
11	झारखंड	17.52
12	कर्नाटक	26.09
13	केरल	14.25
14	मध्य प्रदेश	34.94
15	महाराष्ट्र	46.05
16	मणिपुर	1.38
17	मेघालय	1.76
18	मिजोरम	0.66
19	नागालैंड	1.38
20	ओडिशा	22.53
21	पंजाब	8.70
22	राजस्थान	27.71
23	सिक्किम	0.44
24	तमिलनाडु	36.78
25	तेलंगाना	13.38
26	त्रिपुरा	2.71
27	उत्तराखंड	5.03
28	उत्तर प्रदेश	99.79
29	पश्चिम बंगाल	39.71
30	एक प्रायद्वीप	0.29
31	चंडीगढ़ (डीबीटी)	0.00
32	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.15
33	जम्मू और कश्मीर	7.35
34	लद्दाख	0.16
35	लक्षद्वीप	0.05
36	पुड्डुचेरी (डीबीटी)	0.00
	कुल	**555.06**

(स्रोत: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग)

******